A-12025/1/2010/Sty/Vol.II
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
(PSP Division)

Nirman Bhawan, New Delhi.
Dated the 15th April 2025.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in Recruitment Rules for the post of Controller of Stationery at Government of India Stationery Office, Kolkata -Regarding.

In accordance with DoP&T OM No. AB-14014017/61/2008-Estt. (RR) dated 13/10/2015, comments of stakeholders are invited on the draft Recruitment Rules for the post of Controller of Stationery in Government of India Stationery Office, a subordinate office under the Ministry of Housing and Urban Affairs, till 15th May, 2025.

Encl: As above.

Binay

(Binay Kumar Malangia)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 011-23061828
Email: binayk.malangia@nic.in

To

The Controller of Stationery,
Government of India Stationery Office,
No. 3, Church Lane Kolkata-700001.

Copy to: The Section Office (IT Cell), MoHUA, Nirman Bhawan, New Delhi with the request to upload this O.M. alongwith draft Recruitment Rules on the websites of the Ministry as well as Notice board of e-Office.

अधिसूचना

नई दिल्ली, --------------, 2025

सा.का.नि. ---संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय तथा प्रकाशन विभाग (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध स्टेशनरी नियंत्रक के पद से है, आंशिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, राष्ट्रपति एतद द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्टेशनरी कार्यालय में स्टेशनरी नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**---(I) इन नियमों को भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय (स्टेशनरी नियंत्रक) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

II ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और उससे संबध्द ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हतएं**.- ऐसा कोई भी व्यक्ति---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के तहत कार्रवाई से छूट दे सकती है।

5. **छूटदेने की शक्ति**---जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वहां सरकार एक आदेश द्वारा और कारणों को लिखित में दर्ज करकेतथा संघ

लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति को इन नियमों के उपबंधोंमेंछूटदे सकेती है।

6. **व्यावृत्तियां**. इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारासमय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों औरअन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किया जाना अपेश्रित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयनित पद या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टेशनरी नियंत्रक	**1 (एक) (2025) *कार्यभार के आधार पर बदलाव किया जा सकता है*	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 78,800 रु. - 2,09,200 रु	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):

(अल्पकालिक अनुबंध सहित)]	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी; (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और *(ख)निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव होने चाहिए:* (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री। (ii) पर्यवेक्षी स्तर पर प्रशासन/वित्तीय मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। **नोट 1 :** वेतन मैट्रिक्स में लेवल के 1167700-208700/- रुपये में विभागीय उप नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति वाले को छोड़कर) जिन्होंने ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति वाले के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, उनके मामले में भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभाग के अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **नोट 2:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और स्थायीकरण समिति। (प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) **1. सचिव (एचयूए), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष** 2.अपर सचिव/संयुक्त सचिव (पीएसपी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-सदस्य **3. संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-सदस्य**	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक 15/3/2024 के अनुसार प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या आमेलन या प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति (समग्र विधि) के मामले में यूपीएससी से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है।

(एफ.सं.)

बिनय कुमार मलंगिया,अवर सचिव